10

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 198/2019 दायर दिनांक–14.06.2019

सरला देवी पत्नी श्री रामेदवाराम जाति जांगिड़ निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

मंदिर श्री गोपीनाथ जी सारस्वत नाबालिग जरिये संरक्षण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्था।

प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. नं. :– एकपक्षीय

दावा : दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::– **दिनांक– 27–04–2022**

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम राजस्व ग्राम चिरान की सरहद में भूमि पुराना खसरा नम्बर 2186 रकबा 2 बीघा 3 बिश्वा स्थित थी। उक्त भूमि में भैरू व भाना पुत्रान श्यौजी का हिस्सा 3/4 था। जो राजस्व रिकॉड जमाबंदी मे दर्ज शुदा है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 व जमाबंदी सम्वत् 2028–2032 क्रमशः मार्क (क) व (ख) से प्रदर्शित है।

उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2186 रकबा 2 बीघा 3 बीश्वा में भैरूराम पुत्र श्योजी का हिस्सा उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुआ। अर्जन व रामपाल ने उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 2186 रकबा 2 बीघा 3 बीश्वा मे अपने हिस्से में से 6 बिस्वा 10 बिश्वाशी पुख्ता भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 17.05.1973 को वादिया को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1973 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 764 के जरिये राजस्व रिकार्ड क्रेता/वादिया के नाम दर्ज हुआ। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 764 दिनांक 04.10.1974 (ग) मार्क का वाद के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त नामांतकरण संख्या 764 के जरिये वादिया पुराने खसरा नम्बर 2186 मी. रकबा 6½ बिश्वा की खातेदार हो गई वादीया दिनांक 17.5.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र उक्त 6½ बीश्वा भूमि को क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर काबिज हो गई। इसके पश्चात वादिया ने उपरोक्त क्रयशुदा भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तकरण करवा लिया एवं आबाद हो गई।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 2186 के बंदोबश्त के दौरान खसरा नम्बर 4571, 4573, 4574 व 4575 बने जिसमें से वादिया की क्रय शुदा भूमि के खसरा नम्बर 4573 [illegible] के दौरान बंदोबश्ती कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गलत रूप से उपरोक्त 4573 की खातेदारी मंदि[illegible] के नाम से दर्ज कर दी। जो कि विधि विरूद्ध एवं वादिया के अधिकारों के वि[illegible] के बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादिया की खातेदारी भूमि को रिकॉ[illegible] का कोई अधिकार नही है।

उपरोक्त खसरा नम्बर 4573 के सम्वत् 2055 से 2058 में न[illegible]सरा नम्बर 585 रकबा 0.10 [illegible] बने। उपरोक्त खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्र में 0.0822 हैक्टर भूमि वादिया की खातेदारी की भूमि है जिस पर वादिया 17.05.1973 से ही काबिज है तथा आबाद है। परन्तु बंदोबश्त अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:21 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

बिना किसी कानून के बिना क्षेत्राधिकार के तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदार वादिया की जगह मंदिर श्री गोपीनाथ जी दर्ज कर दिया जो कि दुरूस्तनीय है। उपरोक्त नये खसरा नम्बर कायम किये जाकर 0.0822 हैक्टर भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जाने हेतु उक्त वाद पेश किया है।

उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 2186 के कृषक भैरू उर्फ भूरा व भाना पुत्रान् श्यौजी थे। राजस्व रिकार्ड में जागिरदार के कॉलम में मंदिर श्री गोपीनाथ जी दर्ज थे। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के अनुसार कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जिस पर उक्त भैरू उर्फ भूरा व भाना पुत्रान् श्यौजी खातेदार हो गये है। भैरू के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्रान् अर्जनराम व रामपाल खातेदार हुए जिनसे वादिया ने जरिये विक्रय पत्र उक्त भूमि क्रय की जिसके पश्चात वादिया खातेदार हो गई, परन्तु बंदोबश्त के दौरान उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में मंदिर श्री गोपीनाथजी का नाम दर्ज कर दिया जो कि गलत दर्ज हुआ। उपरोक्त के संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक–3(2)राज॰–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी किया गया जिसमें जागिर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी के अनुवंशिक और पूर्व अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगें। उक्त परिपत्र के मद संख्या 5 में दर्ज किया है कि जागीरी अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि किसी व्यक्ति के नाम के खातेदार पट्टेदार अथवा खातेदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होगें। ऐसी भूमियों की पुनः मंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नही है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरस्त खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक–3(2)राज॰–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के अनुसरण में वादीगण का नाम अपनी क्रय शुदा खातेदारी भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होना न्यायोचित है। इसलिए उपरोक्त भूमि नये खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्टर में से 0.0822 हैक्टर का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जाने हेतु वाद पेश किया गया है।

वादिया को अपनी क्रयशुदा खातेदारी हक अधिकारो की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में पूर्व में कभी जानकारी नही थी। दिनांक 04.09.2019 को वादिया ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब वादिया को गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई सिके पश्चात उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वाद हेतु वाद कारण वादिया की खातेदार हक अधिकारो की भूमि के रिकॉर्ड की नकल दिनांक 04.09.2019 को लेने पर गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने के रोज माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

उपरोक्त वाद मे प्रतिवादी मंदिर श्री गोपीनाथ जी है जो कि शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग के विरूद्ध वाद नही चल सकता है। इसलिए कानूनी संरक्षक राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया जाकर उपरोक्त वाद पेश किया गया है। संरक्षक नियुक्त किये जाने एवं वाद पेश किया जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से सेवामें पेश है।

उपरोक्त वाद में पक्षकारान वाद न्याया[illegible] करते है तथा वादग्रस्त जमीन भी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है। इसलिए उक्त वाद सुन[illegible] को पूर्ण क्षेत्राधिकार है। वाद पूर्ण कोर्ट फीस रूपये 4/– न्यायालय शुल्क पर पेश [illegible]

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुत[illegible] कि वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर ग्राम चिरान तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा न[illegible]585 रकबा 0.10 हैक्टर में से 0.0822 हैक्टर का मीन खसरा नम्बर कायम किया जाकर उक्त 0.0822 हैक्टर का खातेदारी वादिया के नाम घोषित की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:21 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

तथा उक्त भूमि का अलग खाता कायम किया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादिया के पक्ष में पड़ती हो वही भी दिलाई जावे।

वादिया द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर वाद–पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में समस्त प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु यानि तनकी कायम करने की आवश्यक नही।

शहादत ली गई। वादिया ने साक्ष्य में स्वयं का मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य वादिया ने निम्न दस्तावेजात प्रदर्श 1 ग्राम चिराना की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 ग्राम चिराना की जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श–3ए ग्राम चिराना की जमाबंदी सम्वत् 2059–2062, प्रदर्श–4ए मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 2055–2058, प्रदर्श–5 ग्राम चिराना की जमाबंदी सम्वत् 2047–2050, प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2012–2015, प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत् 2016–2019, प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत् 2020–2023, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत् 2020–2023, प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, प्रदर्श–12 जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, प्रदर्श–13 जमाबंदी सम्वत् 2029–2032, प्रदर्श–14 जमाबंदी सम्वत 2029–2032, प्रदर्श–15 नामान्तकरण संख्या 764, प्रदर्श–16ए विक्रय–पत्र दिनांक 17.05.1973, प्रदर्श–17ए आदेश जिला कलक्टर झुन्झुनू 1968–73 दिनांक 16.08.1984, प्रदर्श–18ए आदेश तहसीलदार नवलगढ क्रमांक/84 दिनांक 10.9.84, प्रदर्श–19ए सनद(पट्टा) क्रमांक/39/1984 दिनांक 19.10.1984 प्रदर्शित करवाये है।

साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही हुई। प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 25.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है इसलिए प्रतिवादी की और से कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही की गई है।

बहस वादिया सुनी गई। दौराने बहस वादिया क अधिवक्ता ने वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रदर्शित दस्तावेजात की ओर ध्यान आकृर्षित करवाया कि विवादित भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 2186 रकबा 2 बीघा 3 बीश्वा स्थित थी जो राजस्व रिकॉर्ड में भेरू व माना के 3/4 हिस्से में दर्ज थी उनकी मृत्यु उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई। उनके उतराधिकारी अर्जन व रामपाल ने रकबा 2 बीघा 3 बीश्वा में से 6 बिश्वा 10 विश्वासी भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.10.793 को वादिया को विक्रय कर दी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 764 के द्वारा खातेदारी वादिया को प्राप्त हुई, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्टर तथा क्रयशुदा भूमि का रकबा 0.0822 हैक्टर है। बंदोबश्त विभाग के बिना क्षैत्राधिकार के वादिया की खातेदार निरस्त कर बिना सुनवाई के मंदिर श्री गोपीनाथजी कि नाम से दर्ज कर दी गई। मंदिर श्री गोपीनाथजी मात्र जागीरदार थे कृषक नही, कृषक भेरू व भाना थे। इससिए खातेदारी गलत रूप से दर्ज की गई है। राजस्थान सरकार ने इस बाबत एक परिपत्र क्रमांक–3(2)राज॰–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया है जिसके अनुसार भी वादिया खातेदारी अधिकारो को प्राप्त करने की अधिकारी ह। इस बाबत जागीर रिज्युमशन की धारा 9 में भी वर्णन किया गया है। इसलिये वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वादिया की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। न्यायालय के समक्ष एक ही बिन्दु तय करना है कि क्या वादिया मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम से वर्तमान में दर्ज खातेदार की भूमि के [illegible] अधिकारी है अथवा नही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:21 IST
Reason: SelfAttested

यहां महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि वादिया ने अपने [illegible] को [illegible]त करने लिए जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–7 की प्रस्तुत की है जो जा[illegible] है, जिसमें कृषक के खाते में भूरा व माना पिता श्योजी हिस्सा 3/4 [illegible] हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है तथा जागीरदार के कॉलम में मंदिर का नाम दर्ज है । यहीं स्थिति जमाबंदी स[illegible] 2016 से 2019 मे है। आगे का रिकॉर्ड भी यही प्रदर्शित कर रहा है तथा जागीरदार के कॉलम में राज्य सरकार का नाम दर्ज है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है मंदिर मूर्ति भूमि की जागीरदार है ना कि कृषक है। कृषक मंदिर के अलावा दर्ज व्यक्ति है अर्थात भूमि मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज नही है बल्कि काश्तकार की खुदकाश्त में दर्ज है। वादिया के अधिवक्ता ने राज्य सरकार

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ

द्वारा जारी परिपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार "मंदिरो को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसर जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नही है।"

" ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी, के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। धारा 9 निम्न प्रकार है :– आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसी अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।" फलस्वरूप मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बंध में परिपत्र 24.05.2007 के परिपेक्ष्य में जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उतराधिकार योग्य एवं हस्तांन्तरित अधिकार दिये गये है। ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। चूंकि पूर्व में भूमि को रिकार्ड भूरा वगैरह के नाम से कृषक के रूप में दर्ज रहा है तथा जागीरी खालसा होने पर कृषक को धारा 15 के तहत खातेदार अधिकार मिले है, परन्तु भू–प्रबंध कर्मचारियों ने गलत रूप से खातेदारों का नाम हटाकर गलत रूप से भूमि की खातेदारी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज कर दी जो विधि सम्मत नही है। न्यायिक संदर्भ अधनियम 1955 की धारा 15, अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.3(2)राज–6/2007/14, दिनांक 24.05.2007, तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र क्रमांक : राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 के अनुसार भी वादिया का वाद उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। वादिया ने खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्टर मे से रकबा 0.0822 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की है तथा काबिज है जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। फलस्वरूप वादिया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्टर में से रकबा 0.0822 हैक्टर का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। शेष राजस्व रिकार्ड बदस्तुर जमाबंदी रहे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:21 IST
Reason: SelfAttested

(14)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 198 / 2019 (सरला देवी बनाम मंदिर श्री गोपीनाथ जी)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.04.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 585 रकबा 0.10 हैक्टर में से रकबा 0.0822 हैक्टर का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। शेष राजस्व रिकार्ड बदस्तुर जमाबंदी रहे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.04.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:21 IST
Reason: SelfAttested